न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या:– 68/2019
निर्णय दिनांक:– 19.03.2021

उनवान

मथूरालाल पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– 1. श्री सच्चिदानन्द शर्मा वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 374 ख0न0 1721, 9, 9/2141 कुल किता 3 कुल रकबा 4.44 है0 में हिस्सा 1/12 एवं खाता संख्या 372 ख0न0 499 रकबा 0.02 है मे से हिस्सा 1/12 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **मथूरालाल पुत्र रामनिवास** मीना खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। तथा प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 373 ख0न0 558, 559, 560, 566, 60, 61, 610, 611, 612, 617, 618, 619, 62, 63 कुल किता 14 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम देवली मे खातेदारी मे दर्ज जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है0 जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से **रामनिवास के स्थान कल्याण** दर्ज कर दिया गया है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **मथूरालाल पुत्र कल्याण** है जो कि अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 372 व 374 वाके ग्राम देवली सम्वत 2071 – 2074 से प्रमाणित है तथा आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र की प्रति , राशन कार्ड, इत्यादि में अंकित है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम रामनिवास अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ख0न0 558, 559, 560, 566, 60, 61, 610, 611, 612, 617, 618, 619, 62, 63 कुल किता 14 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम देवली में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से रामनिवास के स्थान पर कल्याण अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम **मथूरालाल पुत्र रामनिवास** है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम **रामनिवास** के स्थान पर सहवन से **कल्याण** दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 558, 559, 560, 566, 60, 61, 610, 611, 612, 617, 618, 619, 62, 63 कुल किता 14 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी के पिता का नाम **कल्याण के स्थान पर रामनिवास** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

s.136.117

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम देवली के आराजीयात खाता संख्या 374 ख0न0 1721, 9, 9/2141 कुल किता 3 कुल रकबा 4.44 है0 में हिस्सा 1/12 एवं खाता संख्या 372 ख0न0 499 रकबा 0.02 है मे से हिस्सा 1/12 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम **मथूरालाल पुत्र रामनिवास** मीना खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। तथा प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 558, 559, 560, 566, 60, 61, 610, 611, 612, 617, 618, 619, 62, 63 कुल किता 14 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम देवली मे खातेदारी मे दर्ज जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 हैं । प्रार्थी का नाम **मथूरालाल पुत्र कल्याण** मीना खातेदारी के रूप में दर्ज हैं।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम देवली के आराजीयात खाता संख्या 374 ख0न0 1721, 9, 9/2141 कुल किता 3 कुल रकबा 4.44 है0 में हिस्सा 1/12 एवं खाता संख्या 372 ख0न0 499 रकबा 0.02 है मे से हिस्सा 1/12 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम **मथूरालाल पुत्र रामनिवास** मीना खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। तथा प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 558, 559, 560, 566, 60, 61, 610, 611, 612, 617, 618, 619, 62, 63 कुल किता 14 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम देवली मे खातेदारी मे दर्ज जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 में प्रार्थी का नाम **मथूरालाल पुत्र कल्याण** मीना खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम **रामनिवास** है। खाता संख्या 372, 374 वाके ग्राम देवली में प्रार्थी के पिता का नाम **मथूरालाल** दर्ज है। जिससे पिता का नाम कल्याण के स्थान पर मथूरालाल किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह **संयुक्त आराजीयात खाता संख्या 373 ख0न0 558, 559, 560, 566, 60, 61, 610, 611, 612, 617, 618, 619, 62, 63 कुल किता 14 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज मथूरालाल पुत्र कल्याण** के स्थान पर **मथूरालाल पुत्र रामनिवास** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

s.136.118